

दिनांक

आज्ञा पत्र

11²
द्व

फावली पेशा अधि. उन्नयन एाछर/कम
 अधि. उन्नयन एाछर/कम पर मनन किया
 गया एने फावली पर उपलब्ध एावेजों का
 अवलोकन किया गया अपीलान्त के एक का निस्तारण
 निर्णय मूल अपील के निस्तारण पर होगा। अपील
 के विचाराधीन रहे हुए विचारित भूमि का केंचान
 करने पर फर्षी के एक प्रकाशित हो सके हो। अपील
 पर बाहुल्यता की बढ़ने से रोकने के लिए विचारित
 भूमि के डिमेंड की यथास्थिति तादौराने मधीन
 बनाये रखे जाते बाक्य उल्लेख। अपीलान्त का
 पाबंद किया जाना उचित है। अपीलान्त के
 फर्षी अधि. उन्नयन के तथ्यों की दोहराया
 तथा अधि. अपीलान्त उन्नयन के तथ्यों का
 जन्म किया व एकत्र उन्नयन के तथ्यों को
 दोहराया। उन्नयन में अपीलान्त के निस्तारण व उन्नयन
 प्रार्थना के लिए भूमि के डिमेंड की यथास्थिति
 बनाये रखे जाते बाक्य अपीलान्त का पाबंद
 किया जाना आवश्यक है। उन्नयन प्रार्थना-पत्र
 फर्षी के लीकर किया जाता है तथा अपीलान्त
 की जरिये अस्थाई निबंधाज्ञा से पाबंद किया
 जाता है कि विचारित भूमि ख. न. न. 761/164
 रकबा 1.39 हेक्टर की उन्नयन विधानन व एाछर व
 जिला लीकर की भूमि पर तादौराने अपीलान्त डिमेंड
 की यथास्थिति बनाये रखे। फावली के लीकर
 उन्नयन के लीकर उन्नयन। बाक्य एाछर/कम
 निर्णय आज में एाछर से किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर